न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/284/2011 वाद   दायर दिनांक 05.02.2011

उनवान

1. झमकलाल पिता रामचन्द्र जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. सोहनलाल पिता पन्नालाल जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गोपीलाल पिता छोगालाल जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रमेशचन्द्र पिता गोपीलाल जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. दिनेशचन्द्र पिता गोपीलाल जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. महेशचन्द्र पिता गोपीलाल जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. मिटठूलाल पिता किशोर जाति ब्राहम्मण आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. तहसीलदार कपासन ।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र तुल्छिया —वादी
एकतरफा —प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 15.07.2022

—ःनिर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वाके मौजा दोवनी के हल्के बैरूनी की आ0नं0 2104 रकबा 1.16 है0 आ0 नं0 2105 रकबा 1.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2 है0 39 एयर स्थित है रेवेन्यू रेकार्ड मे पक्षकारान के नाम जमाबन्दी मे सयुक्त दर्ज है वादीगण का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2, 3, 4, 5 का 1/2 हिस्सा दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:26 IST
Reason: SelfAttested

यह कि इसी प्रकार मौजा दोवनी के हल्के बैरूनी [illegible] 1756 रकबा 0.67 है व आ0नं0 1757 रकबा 1.75 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.42 है0 स्थित [illegible] चालू जमाबन्दी मे वादीगण के नाम 1/4, प्रतिवादी नं0 1 सोहनलाल के नाम 1/4 प्रतिवादी सं0 2,3,4,5 के नाम 1/4 व प्रतिवादी सं0 6 मिटठूलाल के नाम 1/4 हिस्से मे से सयुक्त खाते [illegible] मे दर्ज है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि विभाजन करा लेकिन प्रतिवादीगण तैयार नहीं है इसमे लगान अदा करने मे व सरकारी लोन वगैरा व भूमि का विकास कराने में विवाद बना रहता है आखिरकार दिनांक 20.09.2011 को कहा तो भी तैयार नहीं है इसलिये विभाजन कराया जाना आवश्यक है।

यह कि वाद कारण 20.09.2011 को पैदा होता है व उसके बाद प्रतिदिन पैदा हो रहा है ।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की है कि पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के विभाजन की डिकी इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कॉलम सं0 एक मे से वर्णित आराजीयात 2105 रकबा 1.23 है0 हम वादीगण के हिस्से व कब्जे मे रेकार्ड रखा जावे प्रतिवादी नं0 एक का 1/4 हिस्सा भी वादी को दिलाया जावे व आ0नं0 2104 रकबा 1.16 है0 प्रतिवादी नं0 2, 3, 4, व 5 के हिस्से व कब्जे मे रखा जाकर इसी अनुसार आ0नं0 2105 का पुरा रकबा तन्हा हम वादीगण के नाम पर जमाबन्दी मे दर्ज फरमाया जावे। व आ0नं0 2104 प्रतिवादी सं0 2, 3, 4 व 5 के नाम संयुक्त जमाबन्दी मे तन्हा अंकित फरमाया जावे। इसी प्रकार पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के विभाजन की डिग्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वादपत्र की कॉलम सं0 2 मे वर्णित आराजीयात जैरबहस वाके मौजा दोवनी का आ0नं0 1756 रकबा 0.67 है0 व आ0नं0 1757 रकबा 1.75 है0 का विभाजन कराया जाकर हम वादीगण को इसमे हिस्सा नहीं दिलाया जावे । क्योंकि वादपत्र की कॉलम सं0 एक मे वर्णित आ0 नं0 2105 का पूरा रकबा वादीगण को दिया गया है तथा आ0 नं0 1756 व 1757 का 1/4 हिस्सा हम वादीगण का प्रतिवादी नं0 एक सोहनलाल को दिलाया जाकर प्रतिवादी नं0 एक सोहनलाल को 1/2 हिस्सा विभाजन मे दिलाया जावे तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 2, 3, 4 व 5 तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 मिटठू लाल को दिलाया जाकर विभाजन कराया जावे । तथा प्रतिवादी नं0 एक सोहनलाल के नाम 1/2 जमाबन्दी मे तन्हा दर्ज कराई जावे। व प्रतिवादी सं0 2, 3, 4, 5 के 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 6 के 1/4 हिस्सा जमाबन्दी मे अंकन फरमाया जावे । विकल्प मे निवेदन है कि उक्त अनुतोष सम्भव नहीं हो तो अदालत उचित समझे वैसा अनुतोष पक्ष वादीगण दिलाया जावे ।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 23.01.2012 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 11.07.2013 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। पत्रावली में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 के तहत केम्प दोवनी में दिनांक 24.05.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अतः आज दिनांक 15.07.2022 को वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। साथ ही प्रतिवादीगण के हिस्से में प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट में सहवन से आराजी संख्या 2104 रकबा 1.16 है0 का अंकन नही हो सका। परन्तु कुल रकबा 3.61 है0 अंकित है। अतः प्रतिवादीगण के हिस्से में आराजी संख्या 2104 जोडे जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा दोवनी पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 2105, 2104, 1756, 1757 में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 के अनुसार आराजी संख्या 2104 को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है।

1. झमकूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:26 IST
Reason: SelfAttested

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	2105 मी0	1.20	बारानी 3
योग	कुल किता–1	1.20	

2. सोहनलाल पुत्र पन्नालाल 121/361, मिठुलाल पुत्र किशोर 121/722 जाति ब्राहम्मण सा0 देह खातेदार, रमेश चन्द्र पुत्र गोपीलाल 30/361, महेशचन्द्र पुत्र गोपीलाल 89/361, कान्ता देवी पुत्री गोपीलाल 121/722 सा0 बाबरिया खेडा,

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	1756	0.67	बारानी 3
2	1757	1.75	बारानी 3
3	2105/1	0.03	बारानी 3
4	2104	1.16	बारानी 3
योग	**कुल किता– 4**	**3.61**	

रहन बदस्तुर रहें तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:23:26 IST
Reason: SelfAttested